

फाइल न G-20011/01/2022-प्रशा .V

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय

कर्त्तव्य भवन-III, नई दिल्ली-110001  
दिनांक 08.अप्रैल, 2026

कार्यालय ज्ञापन

**विषय:** कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न - आंतरिक शिकायत समिति के पुनर्गठन के संबंध में।

इस मंत्रालय के दिनांक 03.10.2023 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में आंशिक संशोधन करते हुए, गृह मंत्रालय (मुख्य) की शिकायतकर्ता महिला कर्मचारियों द्वारा की गई शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति को तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार पुनर्गठित किया गया है:

- i. श्रीमती निष्ठा तिवारी, संयुक्त सचिव: पीठासीन अधिकारी
- ii. श्रीमती जूही वर्मा, निदेशक: सदस्य
- iii. श्रीमती परवीन वर्मा, पीपीएस : सदस्य सचिव
- iv. श्री संदीप कुमार, अवर सचिव : सदस्य
- v. सुश्री अनु अरोड़ा, अनुभाग अधिकारी : सदस्य
- vi. सुश्री मारिया एंटोनेट राजा मणि : सदस्य (NGO)

  
(विश्वजीत कुमार गुप्ता)

अवर सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष : 2401 0161

सेवा में,

1. श्रीमती निष्ठा तिवारी, संयुक्त सचिव (IS-II), गृह मंत्रालय, कक्ष संख्या-34097, कर्त्तव्य भवन -3, नई दिल्ली-011
2. श्रीमती जुही वर्मा, निदेशक (NE-II), गृह मंत्रालय, कक्ष संख्या-34003, कर्त्तव्य भवन -3, नई दिल्ली-011
3. श्रीमती परवीन वर्मा, निदेशक (JKL & Security) की पीपीएस, गृह मंत्रालय, कर्त्तव्य भवन -3, नई दिल्ली-011
4. श्री संदीप कुमार, अवर सचिव (Ad.II), गृह मंत्रालय, हॉल संख्या-35076, कर्त्तव्य भवन-III, नई दिल्ली-011
5. सुश्री अनु अरोड़ा, अनुभाग अधिकारी (NE-III), गृह मंत्रालय, हॉल संख्या- 35022, कर्त्तव्य भवन-III।
6. सुश्री मारिया एंटोनेट राजा मणि, YWCA सदस्य, KG1, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018। (ईमेल-adv.maria31@gmail.com).
7. अनुभाग अधिकारी (आईटी-सेल), गृह मंत्रालय – इस कार्यालय ज्ञापन को मंत्रालय के ई-ऑफिस पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
8. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (एनआईसी), गृह मंत्रालय – इस कार्यालय ज्ञापन को गृह मंत्रालय की वेबसाइट के 'What's New' अनुभाग में अपलोड करने हेतु।
9. गृह मंत्रालय के समस्त अनुभाग/डेस्क – ई-ऑफिस पोर्टल के माध्यम से।

प्रतिलिपि :

1. माननीय गृह मंत्री के निजी सचिव/ राज्य मंत्री (N) के निजी सचिव/ राज्य मंत्री (BSK) के निजी सचिव ।
2. गृह सचिव के प्रधान स्टाफ अधिकारी ।
3. सचिव (बीएम) / विशेष सचिव (आईएस) के वरिष्ठ निजी सचिव।
4. गृह मंत्रालय (मुख्य) के सभी अपर/ संयुक्त सचिव ।